



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda@jodhpur / yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612046/2612045-7 Fax 0291-2612046

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 9086

दिनांक:- 21/04/2020

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2020 वीं बैठक दिनांक 06.03.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (06.03.2020)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2020 वीं बैठक दिनांक 31.01.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 15 रकबा 14.15.00 बीघा में से 05.09.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री सन्तोष राम पुत्र श्री गोपाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध नहीं होने एवं खसरा नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 3 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 191 रकबा 14.08.00 बीघा में से 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री भोमाराम पुत्र श्री कुम्भाराम वगैरह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में पहुँच मार्ग की स्पष्ट रिपोर्ट एवं खसरा तरमीम सम्बंधित जोन से कराने के पश्चात प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 4 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 162, 163, 164 व 166 रकबा 17.05.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3-बी के तहत आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- आशापूर्णा बिल्डकॉन जरिये श्री करणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. बी.पी.सी (एल.पी) की पूर्व बैठक दिनांक 08.11.2019 में प्रश्नगत प्रकरण में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 02 व 03 को संशोधित करते हुए आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र अलग-अलग दर्शाया गया अतः भूखण्ड 95 से 99 को संशोधित करते हुए सुविधा क्षेत्र एक ही स्थान पर दर्शाया जाना है। इस बाबत प्रार्थी से सहमति पत्र एवम् संशोधित ले-आउट प्लान लिया जावे।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व बैठक दिनांक 08.11.2019 में लिये गये निर्णय में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
4. उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आवेदक की सहमति हो तो उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 118, 118/1 रकबा 04.00.00 बीघा भूमि के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री हिम्मताराम पुत्र श्री सोपाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के खसरा संख्या जोन चैकलिस्ट व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न होने के संबंध में परीक्षण कर जोन द्वारा यदि स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है तथा कोई भिन्नता नहीं हो तो तदानुसार कार्यवाही की जावे।
2. आवेदित भूमि को 40 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच प्राप्त है जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 30' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
3. सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 5991.29 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. आवेदित भूमि के सामने रोड भाग से एल.टी लाईन गुजर रही है जिसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जाना होगा।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 54/2/2 रकबा 11.18.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- आशापूर्णा बिल्डकॉन जरिये श्री करणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. तकनीकी दृष्टि से भूखण्ड संख्या 19, 20 व 56, 57 एवम् वृक्षारोपण पट्टी के मध्य दर्शित 10 फीट पाथ-वे के स्थान पर 30 फीट सड़क दर्शाया जाना है इस बाबत आवेदक से सहमति पत्र व संशोधित मानचित्र प्राप्त कर जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में ईडब्ल्यूएस/एल.आई.जी भूखण्ड प्रस्तावित नहीं किये गये है। अतः नियमानुसार समतुल्य राशि जमा करवाई जावे।



4. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित भूमि जोजरी नदी भूमि के किनारे स्थित है तथा WRD द्वारा आदेश दिनांक 23.02.2017 में ऐसी भूमियों के संबंध में अनापत्ति जारी करने में असमर्थता जाहिर की है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र दिया है कि नदी के बहाव क्षेत्र से किसी प्रकार की दुर्घटना/हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र को मानते हुए उसके आधार पर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (06.03.2020) जोन- पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा संख्या 139/64 रकबा 11.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती रजनी रजवानी पत्नि श्री कन्हैयालाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित वाणिज्यिक क्षेत्र के स्थान पर ईन्फोर्मल कॉमर्शियल रखा जावे। भूखण्ड संख्या 60 व 72 एवम् योजना सीमा के मध्य 30 फीट सडक रखी जावे। अतः भूखण्ड संख्या 32, 53 व ग्रीन ऐरिया के मध्य दर्शित 10 फीट पाथवे के स्थान पर 30 फीट सडक एवम् ग्रीन ऐरिया के दक्षिण की ओर दर्शित 30 फीट सडक के स्थान पर 10 फीट पाथवे रखा जावे। इस बाबत आवेदक से सहमति पत्र व संशोधित मानचित्र प्राप्त कर जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में ईडब्ल्यूएस/एल.आई.जी भूखण्ड प्रस्तावित नहीं किये गये है। अतः नियमानुसार समतुल्य राशि जमा करवाई जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम भटिण्डा के खसरा संख्या 877/1 रकबा 04.09.00 बीघा में से 02.09.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री गणपतराम पुत्र श्री नैनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को स्टेट हाईवे 61 (100 फीट मार्गाधिकार) से पहुँच प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि जोधपुर से सरदारसमंद रोड (स्टेट हाईवे) पर स्थित है एवम् मास्टर प्लान 2031 अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट व 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। तदनुसार पहुँच मार्ग 200 फीट से प्रभावित होने वाली भूमि आवेदक से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।



2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावेगी कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
3. सड़क मार्गाधिकार उपरांत 3228.92 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. खसरा मानचित्र में आवेदित भूमि की तरमीम नहीं हैं अतः जोन स्तर पर तरमीम को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही मानचित्र जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 77/4 रकबा 11.03.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3-बी के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री दानाराम घुमण्डा पुत्र श्री मोहनराम घुमण्डा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा ले-आउट प्लान में एच.टी लाईन के नीचे 80 फीट सड़क प्रस्तावित की गयी है। उक्त 80 फीट सड़क एवम् अन्य 30 फीट सड़कों का जंक्शन तकनीकी रूप से उचित नहीं है।
2. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईन गुजर रही है। जिसके क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तदानुसार सेफटी कोरीडोर व सड़क छोड़ते हुए मानचित्र संशोधित अपेक्षित है। उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने बाबत प्रार्थी को सूचित किया जाना है एवम् उपरोक्त की पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (06.03.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 563/1 रकबा 08.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री नजीर खां पुत्र श्री जीवण खां

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग के लिए घोषित रास्ता नहीं है तथा समीप के खसरा संख्या-563/3 में से आवेदित भूमि तक 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः खसरा संख्या-563/3 का योजना मानचित्र, जिससे आवेदित भूमि को 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध होगा, जारी हुआ अथवा नहीं, की जोन स्तर से सुनिश्चितता उपरांत प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र जारी किया जावे।
2. योजना में 30 फीट चौड़ी सड़कों को Dead End के रूप में प्रस्तावित किया अतः योजना में दर्शित भूखण्ड संख्या 1, 16 व 27, 42 को विलोपित कर उसके स्थान पर 30 फीट चौड़ी सड़क रखी जानी है। इस बाबत आवेदक से सहमति पत्र प्राप्त कर जारी किया जावे।
3. प्रश्नगत भूमि का 90/क की कार्यवाही की सुनिश्चितता उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।



4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में ईडब्ल्यूएस/एल.आई.जी भूखण्ड प्रस्तावित नहीं किये गये है। अतः नियमानुसार समतुल्य राशि जमा करवाई जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 752 रकबा 04.09.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड के संशोधन के संबंध में। आवेदक :- मोहम्मद यूनुस पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर जोविप्रा द्वारा पूर्व में आवेदित भूमि के आस पास किये गये कमिटमेंट्स तथा अफॉडेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के तहत अरिहन्त सुपर स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ किये गए एग्रीमेन्ट की शर्त संख्या-9 के परिपेक्ष्य में मास्टर प्लान की 30 मीटर सड़क प्रस्तावित करते हुए संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 546, 546/1 रकबा 15.11.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री हरिराम पुत्र श्री रावतराम वगैरह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर निम्न तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (झाफ्ट) की डी.सी.आर अनुसार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप को 30 मीटर एवम् अधिक चौड़ी सड़क एवम् मिक्स लैण्ड यूज की डी.सी.आर अनुसार टाउनशिप (2 हैक्टेयर से अधिक) को 30 मीटर एवम् अधिक चौड़ी सड़क पर अनुज्ञेय किया गया है। दोनो भू-उपयोगों में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 02 है० से कम है।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 30 फीट चौड़े कटाण रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जो कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.08.2015 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक न्यूनतम उपलब्ध पहुँच मार्ग 12 मीटर (40 फीट) से कम है।

एजेण्डा संख्या 13 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 689 रकबा 05.19.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आउट प्लान के निरस्तीकरण बाबत। आवेदक :- श्रीमती ललिता के व्यास पत्नी श्री कमलकिशोर व्यास

निर्णय :- बैठक में इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में निहित 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार तत्कालीन नगर विकास न्यास एवं वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की हैं। आवेदक द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर प्रकरण में 90-ए तथा ले-आउट प्लान अनुमोदित करवाया गया है। अतः समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. बी.पी.सी. एल.पी की पूर्व बैठक दिनांक 08.11.2019 में अनुमोदित खसरा संख्या 689 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा के आवासीय प्रयोजनार्थ पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान को निरस्त किया गया।



2. खसरा संख्या 689 की 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90/क के तहत की कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त जोन पश्चिम नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे एवम् जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की स्वामित्व की भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करावें।
3. खसरा संख्या 689 की 05 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में भावी बेचान अनुमति, लीज डीड निस्पादन, नाम हस्तान्तरण एवम् भवन निर्माण अनुमति पर रोक लगाई जाती है।

एजेण्डा संख्या 14 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 746/1 रकबा 10.09.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री खिंवराज पुत्र श्री भूराराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत योजना को पहुँच मार्ग अन्य योजना रिषभ नगर की 30 फीट सडक से प्राप्त हो रहा है उक्त सडक को प्रश्नगत भूमि में 40 फीट दर्शाया गया अतः उक्त दोनों सडकों के अलाईमेंट के मिलान की मौका एवम् रिकॉर्ड अनुसार स्थिति का परीक्षण जोन द्वारा किया जावें।
2. आवेदित भूमि को रिषभ नगर योजना से सम्पर्क प्राप्त है अतः रिषभ नगर योजना में सडकों की मौके पर वर्तमान में चौड़ाई एवम् योजना के भूखण्डों को उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा जारी पट्टों का परीक्षण जोन स्तर से किया जावें।
3. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में पार्क/खुला क्षेत्र 5 प्रतिशत से कम प्रस्तावित है तथा भूखण्ड संख्या 111 से 114 के सामने सडक की चौड़ाई 30 फीट से कम दर्शित है। अतः उपरोक्तानुसार पूर्ति करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 15 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 211/6 रकबा 02.07.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- मैसर्स ललेजा आर्ट पैलेस जरिये श्री बरकतुल्लाह खान पुत्र श्री फरीद खान

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने खसरा संख्या 210/1, 211/3, 211/5 ग्राम नारनाडी का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन कर दिनांक 30.08.2018 को जारी किया जा चुका है जिसमें आवेदित भूमि के सामने की ओर प्रस्तावित मास्टर प्लान की सडक की चौड़ाई 160 फीट रखी गयी है। अतः तदानुसार 160 फीट सडक का ऐलाईमेंट रखते हुए संशोधित ले-आउट प्लान लिया जाना है तथा मास्टर प्लान की 160 फीट चौड़ी सडक के मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि प्रार्थी से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें।
2. सडक मार्गाधिकार उपरांत 1840.25 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
3. प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में 90/क की कार्यवाही नहीं की गई है अतः प्रकरण में 90-ए की कार्यवाही उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जाना है। भविष्य में बिना 90-ए के आदेश पारित हुए कोई प्रकरण इस समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जावे।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।



6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
8. उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवं अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 16 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 978/1 रकबा 01.00.00 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री इन्द्राराम पुत्र श्री मोतीराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क का राजस्व रिकोर्ड एवम् मौका स्थिति अनुसार चौड़ाई का परीक्षण जोन स्तर से किया जावे।
2. आस-पास भूमियों एवम् उनके सामने दर्शित राजस्व रास्ते की चौड़ाई दशाते हुए राजस्व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे।
3. प्रकरण में 90-ए का आदेश का पारित नहीं नहीं हुआ है। 90-ए का आदेश पारित होने के उपरान्त ही प्रकरण बैठक में रखा जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 17 :- (06.03.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बावरली के खसरा संख्या 360/3, 360/6 रकबा 03.03.05 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री रामाराम पुत्र श्री गुमानाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार 20'X42' पक्का निर्माण है एवम् 11'X30' में निर्माणाधीन है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 18 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1880, 1881, 1883 रकबा 16.13.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री जगाराम पुत्र श्री किशनाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में न्यूनतम आवश्यक विद्यमान पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 19 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 175/3, 180/3 रकबा 05.13.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री सवाईराम पुत्र श्री हडताराम



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में न्यूनतम आवश्यक विद्यमान पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 20 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1684 भूखण्ड संख्या 29 के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में। आवेदक :- श्री दीक्षित दत्त बोहरा पुत्र श्री ओमदत्त बोहरा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण ले-आउट प्लान अनुमोदन से संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण पर विचार नहीं किया गया।

एजेण्डा संख्या 21 :- (06.03.2020) जोन- उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम राम नगर के खसरा संख्या 473/1 रकबा 03.19.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री पवन राठी पुत्र श्री मूलचन्द राठी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में प्राप्त आपत्ति सुझाव अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति की जांच हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।
3. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व रास्ते की जांच हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 22 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 3 रकबा 11.11.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमति आनन्द पत्नि श्री नन्दकिशोर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित कटाण रास्ते की तरफ आवेदित भूमि के अंदर 30 फीट सडक का प्रावधान किया जावे। उक्त हेतु प्रार्थी यदि सहमत हो तो मानचित्र जारी किया जावे अन्यथा संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।



6. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 23 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 72/19, 72/43 रकबा 02.10.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- वरुण कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउस जरिये प्रोपराईटर हुक्मीचन्द पुत्र श्री मेघराज अरोडा, दीया एगो इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर उमाशंकर पुत्र श्री सम्पतलाल अरोडा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती सेटबैक क्षेत्र में निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र की संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 24 :- (06.03.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 823/10 रकबा 04.15.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री दुर्गाराम पुत्र श्री कानाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र की संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाने का निर्णय लिया गया।
3. तहसीलदार तिवरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि रेलवे लाईन से 50 फीट दूरी पर स्थित है। अतः प्रस्तुत मानचित्र पर रेलवे सीमा से 100 फीट की दूरी का अंकन किया जावे।
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से एक एल.टी व दो एच.टी लाईन गुजरती है। अतः विद्युत लाईनों की क्षमता व स्थिति मानचित्र पर अंकित की जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 25 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 834/1 रकबा 07.00.00 बीघा मे से 01.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती जमनादेवी पत्नी श्री देवाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में फार्म हाउस हेतु न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से कम होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या 26 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/1 रकबा 00.16.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री विकास गुर्जर पुत्र श्री किशन गोपाल गुर्जर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को समर्पण सुदा भूमि 80 फीट से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी म्यूटेशन की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/76, 129/79 कुल रकबा 00.15.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 252/10 रकबा 03.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती कौशल्या मनिहार पत्नी श्री ओमप्रकाश मनिहार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या 29 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/09 रकबा 01.18.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री जगदम्बा स्टोन जरिये भागीदार श्री मुकेश व सज्जन जांगिड पुत्र श्री कैलाश चन्द्र

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जोन उपायुक्त से आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या 30 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 60/5 रकबा 04 बीघा में से 02.10.00 बीघा के आतिशबाजी मैगजीन गौदाम फायर वर्क्स एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती वीणा चाण्डक पत्नि श्री सोहनलाल चाण्डक

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में पहुँच मार्ग 40 फीट ही उपलब्ध है जबकि आवेदित भूमि को न्यूनतम 60' पहुँच मार्ग आवश्यक है अतः प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 31 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/27 रकबा 01.14.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री दिनेश छाजेड पुत्र श्री ताराचंद

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 32 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/28 रकबा 01.16.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ताराचंद

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।



उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 33 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 16/1 रकबा 00.15.18 बीघा के वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री किशोर कुमार प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। भविष्य में बिना 90-क के आदेश पारित हुए प्रकरण बैठक में नहीं रखे जावें।
2. आवेदित भूमि जोधपुर-पाली मुख्य सडक (एन.एच 65) पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट आरक्षित है।
3. कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्का कमरा व अस्थायी निर्माण किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार उक्त निर्माण हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी।
4. सडक मार्गाधिकार उपरांत 903.44 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को जारी अधिसूचना अनुसार पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सडक/अन्य जिला सडक (NH/SH/MDR/ODR) पर स्थित होने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर की जानी होगी।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 158/7 रकबा 06.02.00 बीघा मे से 02.02.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री जगदीश पुत्र श्री चन्द्राराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में न्यूनतम आवश्यक विद्यमान पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या 35 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/1 रकबा 01.05.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- मैसर्स रामदेव एग्रो वेयर हाउस जरिये श्रीमती सीमा खींची

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 36 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/63 रकबा 01.02.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- मैसर्स रामदेव एग्रो वेयर हाउस जरिये श्रीमती सीमा खींची

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 37 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/62 रकबा 01.04.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- मैसर्स रामदेव एग्रो वेयर हाउस जरिये श्रीमती सीमा खींची

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 38 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 178/12 रकबा 04.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री मोहनलाल व अन्य

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में न्यूनतम आवश्यक विद्यमान पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा संख्या 61, 62, 62/1, 63 रकबा 18.12.00 बीघा में से 11.11.10 बीघा के हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती शौफाली जोहरी पत्नी श्री सुबोध, श्री ललित जोहरी पुत्र श्री विनोद कुमार, श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी श्री विनोद कुमार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 40 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 346/3, 346/4 रकबा 06.06.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती सीमा पत्नी श्री लक्ष्मणराम, श्रीमती प्रमीला पत्नी श्री पृथ्वीराज



- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।

एजेण्डा संख्या 41 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 861/111 रकबा 03.00.00 बीघा के सिटी गैस वितरण गोदाम (City Gas Distribution Network) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- एजीपी सीजीडी इंडिया प्रा.लि जरिये प्रतिनिधि श्री मनीष गोस्वामी पुत्र श्री रमेश गिरी गोस्वामी

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-सालावास डामर सड़क पर स्थित है जिसका विद्यमान मार्गाधिकार 100 फीट है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट आरक्षित है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
 2. प्रकरण के संबंध में विस्फोटक विभाग एवम् अन्य संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर की जानी होगी।
 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 4. सड़क मार्गाधिकार उपरांत 4203.30 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 42 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/1, 726, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4 726/9, 788 रकबा 110.10.00 बीघा के औद्योगिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री कोजाराम भादरू पुत्र श्री रतनाराम वगैरह

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही की जा चुकी है।



2. आवेदित भूमि कांकाणी शिकारपुरा (लूणी) स्टेट हाईवे पर स्थित है एवम् मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट व तत्पश्चात 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
3. प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आपति सुझाव अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपति संख्या 278 दिनांक 28.10.2013 दर्ज है जिसे स्वयं आवेदक तथा श्रीमती जसोदा डाबी द्वारा दर्ज करवायी गयी थी। प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दर्ज आपति को विद्धों किये जाने का निवेदन किया गया है, साथ ही श्रीमती जसोदा डाबी द्वारा दर्ज आपति हेतु भी शपथ-पत्र प्रस्तुत कर आपति को विद्धों किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रस्तुत की गयी आपतियों को विद्धों किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवा लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी को स्वीकार्य होगा बाबत प्रार्थी से शपथ पत्र भी प्राप्त करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।
4. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट में संलग्न यू-2 की डी.सी.आर अनुसार केवल नॉन पाल्यूटिंग ईको फ्रेन्डली इण्डस्ट्रीज अनुज्ञेय की जावे तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रार्थी से प्राप्त किया जावे।
5. प्रकरण मे श्री मो0 असलम पुत्र श्री हाजी चॉद द्वारा राजस्व नक्शा में तरमीम दर्ज नही होने तथा भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करने के संबंध में आपति दर्ज की गयी जिसके कम में जोन स्तर पर जोन उपायुक्त द्वारा आपति का निस्तारण किया गया। जोन उपायुक्त द्वारा निस्तारित आपति को समिति द्वारा सही माना गया है।
6. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेप्टी कॉरीडोर छोडा जावे।
7. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 43 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 80, 77/29 रकबा 00.16.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री गोविन्द गोपाल पुत्र श्री किशन गोपाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को समर्पण सुदा भूमि 80 फीट से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी म्यूटेशन की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर एवं साथ ही समर्पणनामा का नामान्तरण दर्ज होना जोन द्वारा सुनिश्चित कर के ही पट्टा जारी किया जावे।



6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 44 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/10 रकबा 01.17.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री ताराचंद छाजेड

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त से आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 45 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 49/3/1, 49/3/2, 49/4, 49/5 रकबा 10.06.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती कमला भंसाली पत्नी श्री मांगीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में अत्यधिक जंक्शन प्रस्तावित है। अतः जंक्शन को हटाये जाने तथा संशोधित मानचित्र हेतु प्रार्थी यदि सहमत नहीं हो तो प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को 40 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। अतः प्रस्तावित योजना को विद्यमान 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्धता के सम्बन्ध में उपायुक्त स्वयं मौका देख कर 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही आयोजना शाखा मानचित्र जारी करें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।



एजेण्डा संख्या 46 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 30/13 रकबा 06.10.00 बीघा मे से 05.00.14 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्री रामाराम पुत्र श्री छोटाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 47 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 74 रकबा 02.16.16 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री बाबुलाल पुत्र श्री हिम्मताराम प्रजापति

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 48 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 319/13 रकबा 01.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री लूणाराम पुत्र श्री सूजाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 319 में अनुमोदित आवासीय योजना की 80 फीट चौड़ी रोड से 40 फीट समर्पणनामानुसार चौड़ी रोड प्राप्त हो रही है, जिसकी म्यूटेशन की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 5 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में 5 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नही की गयी है। अतः 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। भविष्य में 90-क के विधिवत आदेश पारित होने वाले प्रकरणों को ही बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 49 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 1080/358, 1081/359 रकबा 02.02.00 बीघा में से 02.00.04 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री मदनराम पुत्र श्री पोकरराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं। नक्शे में तरमीम नहीं है, अतः जोन स्तर से तरमीम प्राप्त होने के उपरान्त ही आयोजना शाखा द्वारा मानचित्र जारी किया जावेगा।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग (जोधपुर पाली मुख्य सड़क एन.एच 65) पर स्थित है एवं मास्टर प्लान अनुसार 200' चौड़ाई में सड़क मार्गाधिकार (विद्यमान सड़क के मध्य रेखा से 100 फीट) व उसके पश्चात् 100'-100' वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
3. सड़क मार्गाधिकार उपरांत 2981.38 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है अथवा नहीं, की रिपोर्ट प्राप्त कर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 50 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 65/2, 65/3, 66/3 रकबा 08.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती चुकीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सरगरा व श्री नत्थुराम पुत्र श्री उदाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त से आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावे।
2. आवेदित भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशा में स्थित कटाण रास्ते के मार्गाधिकार के संबंध में एवं आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30 फीट सड़क का कुछ भाग किसी अन्य खातेदारी भूमि में है, के संबंध में उपायुक्त जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदानुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर निदेशक आयोजना स्तर पर उक्त की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 35 फीट की सड़क प्रस्तावित की गई है जिसमें नियमानुसार 40 फीट करते हुए संशोधन किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
4. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर एक मंदिर, एक कमरा, टिनशेड कमरा व चार दिवारी बनी हुई है। अतः निर्माण के संबंध में प्रार्थी से टिप्पणी प्राप्त की जावे।



उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 51 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 180, 180/2, 180/1, 181, 179, 181/1, 180/3, 180/4 रकबा 55.19.00 बीघा में से 55.11.08 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री विजलाराम पुत्र श्री गलबाजी वगैरह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में खसरा तरमीम नहीं हैं एवं पहुँच मार्ग 80 फीट होना आवश्यक है जो कि अप्राप्त है। अतः प्रकरण में 80 फीट सड़क मार्गाधिकार उपलब्धता के संबंध में, पूर्व में उक्त सड़क पर कोई मानचित्र अनुमोदन किया गया हो अथवा नहीं के संबंध में तथा खसरा तरमीम के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 60 फीट सड़क पर उत्तर दिशा में काफी जक्शन प्रस्तावित किये गये हैं जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है, ईन्फोर्मल शॉप का प्रावधान प्रस्तावित योजना की मुख्य सड़क की ओर किया जाना तथा पार्किंग का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, EWS/LIG आवश्यकता से कम प्रस्तावित है, Dead end road को 10 फीट पाथ-वे से मिलाया गया है जिनको 30 फीट सड़कों से मिलान किया जाना प्रस्तावित है, दक्षिण-पूर्व दिशा में सुविधा क्षेत्र को 30 फीट पर प्रस्तावित किया गया है जो कि नियमानुसार सही नहीं है, आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर पार्क का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, एच.टी लाईन के नीचे 115 फीट सड़क प्रस्तावित की गई है जिसमें नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर व सड़क आदि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार व अन्य वांछित संशोधन करवाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 52 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/16 रकबा 01.01.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- मैसर्स गोयल एग्री वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जरिये पार्टनर सुमित्रा देवी पत्नी श्री सुरेशचन्द्र गोयल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। भविष्य में 90-क के विधिवत आदेश पारित होने के उपरान्त ही प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर स्थित 80 फीट सड़क के सहारे-सहारे अनुमोदित अन्य प्रकरणों में पूर्व व पश्चिम दिशा में 60 फीट सड़क आरक्षित की गई है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। अतः तदनुसार ही समिति द्वारा आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क को उपयुक्त माना है।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
4. सड़क मार्गाधिकार उपरांत 1175.22 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।

6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 53 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1883/1475/1 रकबा 00.06.14 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री कमलेश गहलोत पुत्र श्री गोविन्दराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. प्रकरण में जोन उपायुक्त की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के आस पास खसरा संख्या 1882/1475, खसरा संख्या 1884/1475, खसरा संख्या 1885/1475 के पट्टा विलेख पूर्व में 60 फीट मार्गाधिकार का प्रावधान करते हुए जारी है। अतः तदानुसार ही समिति द्वारा आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सड़क को उपयुक्त माना है।
3. कार्यालय में दिनांक 18.12.2018 को आयोजित ले-आउट प्लान समिति की बैठक में निर्णित समस्त 24 प्रकरणों की पत्रावलियाँ विभागीय परीक्षण हेतु न.वि.वि राजस्थान जयपुर द्वारा मंगवाई गयी थी जिसके क्रम में दिनांक 11.10.2019 को न.वि.वि राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को उचित माना है। साथ ही आवेदित भूमि के क्षेत्रफल 00.06.14 बीघा अर्थात 530.57 वर्गगज है, जो कि बहुत छोटा क्षेत्रफल है ऐसे प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान एवम् उपलब्ध मार्गाधिकार एवम् सुविधाओं की सुनिश्चिता किये जाने पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अतः उपरोक्तानुसार भविष्य में जोनल डवलपमेंट प्लान में यथोचित प्रस्ताव समायोजित किया जाना आयोजना शाखा सुनिश्चित करें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 54 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 434/6 रकबा 03.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री पारस जैन पुत्र श्री जवरीलाल जैन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में पहुँच मार्ग की जाँच उपायुक्त स्वयं के स्तर पर कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही जोन उपायुक्त से आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावे।



एजेण्डा संख्या 55 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल खसरा संख्या 542/2 के स्वीकृत प्लान में वाणिज्यिक व इन्फोर्मल मार्केट के ले-आउट अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्री घीसाराम वगैरहा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में इन्फोर्मल व वाणिज्यिक क्षेत्र के मध्य 3 मीटर का सेटबैक छोड़ा जाना तथा सामने 5 मीटर चौड़ी पार्किंग व 1.5 मीटर का पेवमेन्ट रखा जाना उचित माना गया है। उक्त हेतु प्रार्थी यदि सहमत हो तो ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया अन्यथा संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 56 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 119/3 रकबा 02.06.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री जालाराम पुत्र श्री पदमाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण ले-आउट प्लान अनुमोदन से संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण पर विचार नहीं किया गया।

एजेण्डा संख्या 57 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1965/1029 रकबा 00.12.16 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- कुमारी प्रज्ञा लड्डा पुत्री श्री नेमीचन्द लड्डा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 58 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1029/740/7 रकबा 00.12.16 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती मन्जु लड्डा पत्नि श्री नेमीचन्द लड्डा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 59 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 26/13 रकबा 04.08.07 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती मंजु मेहता पत्नी श्री अनिल मेहता



- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-सालावास डामर सड़क पर स्थित है जिसका विद्यमान मार्गाधिकार 100 फीट है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट आरक्षित है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
 2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
 3. आवेदित भूमि का आंशिक भाग प्रस्तावित सर्कल से प्रभावित हो रहा है। अतः उक्त का अंकन करते हुए मानचित्र जारी किया जावे।
 4. सड़क मार्गाधिकार उपरांत 3410.02 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 60 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 119/5 व 119/6 रकबा 04.04.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री जालाराम पुत्र श्री पदमाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण ले-आउट प्लान अनुमोदन से संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण पर विचार नहीं किया गया।

एजेण्डा संख्या 61 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 98/2, 97/3, 97 रकबा 15.01.00 बीघा के रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री लालाराम पुत्र श्री शंकरलाल, श्री प्रिन्स पुत्र श्री काशीराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
2. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-बाडमेर सड़क पर स्थित है जिसका सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित है। अतः सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2018 में उल्लेखित अनुसार रिसोर्ट हेतु प्रस्तावित एकल पट्टों के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि के एवज में नियमानुसार राशि वसुल की जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।



4. सडक मार्गाधिकार उपरांत 23581.38 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि अनुसार एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 62 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/8 रकबा 01.17.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री रमेश गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण वगैरहा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 63 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 249 रकबा 39.12.00 बीघा के औद्योगिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री ढलाराम पुत्र श्री रूपाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 64 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/21, 128/24, 128/31, 128/36, 128/37, 128/41 रकबा 02.10.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री राजूराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम श्रीमती जशोदा पत्नी श्री राजेन्द्र व अन्य

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उक्त कटाण मार्ग पर यदि 80 फीट सडक मार्गाधिकार से कम अथवा अधिक पर स्वीकृती जारी की गयी हो तो उक्त प्रकरणों की जांच की जावे। साथ ही आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। उक्त मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित किया जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या 65 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 550/5 रकबा 01.01.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम जरिये खास मुख्तार श्री रूपाराम पुत्र श्री पुराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.04.2017 के अनुसार भूखण्ड के पीछे की ओर 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जानी अनिवार्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में पेट्रोल पम्प के पीछे की ओर 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी हेतु पर्याप्त भूमि प्रार्थी की भूमि में से उपलब्ध नहीं होती है। साथ ही आवेदित भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग कॉलेज प्रयोजनार्थ आरक्षित है जिसमें पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय नहीं है। अतः प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 66 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल खसरा संख्या 245/1 के स्वीकृत प्लान में वाणिज्यिक भूखण्ड के ले-आउट अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्रीमति केशरदेवी पत्नि श्री किशन गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श कर कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर की तकनीकी राय अनुसार प्रार्थी से पृथक से सुविधाजनक दुकानें हेतु ले-आउट प्लान प्राप्त किया जाकर निदेशक आयोजना स्तर से जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 67 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/24, 77/30 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह व श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः भविष्य में संबंधित उपायुक्त को नियमानुसार 90/क की कार्यवाही करने के उपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर बिना स्वीकृती निर्माण कर लिया गया है। अतः प्रार्थी से मौके पर निर्मित भवन का मानचित्र प्राप्त किये जाने व प्राप्त मानचित्र का संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से मौके से जांच करवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
3. जोन उपायुक्त को अतिरिक्त क्षेत्रफल के स्वामित्व की विस्तृत जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 68 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1088/740/13, 1967/1088 रकबा 01.01.06 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सुनील व श्री सुनील पुत्र श्री गौरीशंकर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि को आवश्यक न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार 80 फीट से कम है। अतः सड़क मार्गाधिकार की जांच किये जाने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया, उपरोक्त जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 69 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण
विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/75, 129/80 कुल रकबा 00.12.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री रमेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 70 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण
विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/61, 129/63 कुल रकबा 00.15.16 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री पन्नाराम पुत्र श्री दुदाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 71 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण
विषय :- राजस्व ग्राम हीरखेडा के खसरा संख्या 123 रकबा 45.13.00 बीघा मे से 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री ओमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में पहुँच मार्ग कितना उपलब्ध हो रहा है, बाबत उपायुक्त स्वयं मौका देख कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं तदानुसार प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। साथ ही जोन उपायुक्त से आवेदित भूमि की 90/क की कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावे।



एजेण्डा संख्या 72 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 30/18 रकबा 12.00.00 बीघा में से 03.03.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री भीयाराम पुत्र श्री छोटाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 73 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी सिलावटा के खसरा संख्या 20/1 रकबा 08.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि तक 40 फीट पहुँच मार्ग को आगे 30 फीट मार्ग में से मिलाया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। साथ ही प्रस्तुत मानचित्र में 5 प्रतिशत प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर पार्क का प्रावधान किया जावे। उक्त हेतु प्रार्थी यदि सहमत नहीं हो तो प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में 90-क के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 74 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 131/1 एकल औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 10881.89 वर्गगज के उपविभाजन बाबत। आवेदक :- श्री ढलाराम चौहान पुत्र श्री घमण्डाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञापित जारी की जावे।

एजेण्डा संख्या 75 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1840/1028 व 1951/1028 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्डों कुल क्षेत्रफल 5477.97 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत। आवेदक :- मैसर्स हेरिटेज पार्टनर जरिये श्री संदीप सिंघवी पुत्र श्री एस.सी सिंघवी निवासी-बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशांसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जावे तथा नाम हस्तान्तरण एवं अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्या 76 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 275 के पट्टा सुदा भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल 7747.60 वर्गगज का उपविभाजन कर योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्री जेटूराम पुत्र श्री पुसाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नियमानुसार उपविभाजन हेतु राशि ली जाकर तथा 5 प्रतिशत पार्क/खुला क्षेत्र का प्रावधान करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 77 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/77, 129/78 कुल रकबा 00.14.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री आकाश बोहरा पुत्र श्री खीमराज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका अनुसार 60 फीट व रेकर्ड अनुसार 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार सड़क मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 78 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/60, 129/62 कुल रकबा 00.17.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :- श्री पवन कुमार बोहरा पुत्र श्री खीमराज बोहरा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।



3. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 79 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 346 प्लॉट संख्या 123 से 128 कुल क्षेत्रफल 7333.33 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत्। आवेदक :- श्री जगतसिंह एच.यू.एफ कर्ता पुत्र श्री हरनाथ सिंह व अन्य।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 80 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1976/1267 रकबा 00.15.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्। आवेदक :- श्री जय सुराणा नाबालिग जरिये कुदरती वली श्री नरपत सुराणा वगैरह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया है, अतः प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 81 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 272/2 के प्लॉट संख्या 104 कुल क्षेत्रफल 1983.33 वर्गगज के उपविभाजन बाबत्। आवेदक :- श्रीमती ढोलीदेवी पत्नी श्री रणधीरसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में अग्र सेटबैक में यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना निर्माण हो तो उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रकरण को अनुशंसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 82 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 45, 45/1 एवं 46 तथा राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 572 पर अनुमोदित आवासीय योजना में आरक्षित Informal Shopping क्षेत्रफल 4874.93 वर्गगज के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्री सोम शर्मा, प्रबंधक, पार्श्वनार्थ डवलपर्स लि. पार्श्वनाथ सिटी, जोधपुर।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में अरबन डवलपमेंट स्कीम पॉलिसी-2015 (ड्राफ्ट) के अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र, 5 प्रतिशत पार्क एवम् खुला क्षेत्र एवम् 15 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किंग का प्रावधान किया जावे। उक्त हेतु प्रार्थी यदि सहमत हो तो ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया अन्यथा संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

(Handwritten signature)

3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 83 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 45, 45/1 एवं 46 तथा राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 572 पर अनुमोदित आवासीय योजना में आरक्षित Convenient Shopping क्षेत्रफल 10289.54 वर्गगज के ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक :- श्री सोम शर्मा, प्रबंधक, पार्श्वनाथ डवलपर्स लि. पार्श्वनाथ सिटी, जोधपुर।

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. प्रकरण में अरबन डवलपमेंट स्कीम पॉलिसी-2015 (ड्राफ्ट) के अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र, 5 प्रतिशत पार्क एवम् खुला क्षेत्र एवम् 15 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किंग का प्रावधान किया जावे। उक्त हेतु प्रार्थी यदि सहमत हो तो ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया अन्यथा संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 84 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 291/7 रकबा 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री लक्ष्मी नारायण देवडा पुत्र श्री कंवरलाल

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-
1. प्रकरण में 90/क की नियमानुसार कार्यवाही तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट की जांच उपायुक्त स्तर पर की जावे।
 2. चूंकि योजना मानचित्र कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया जा चुका है तथा प्रकरण लगभग 12 साल से विचाराधीन है। अतः प्रार्थी से वर्तमान में मानचित्र संशोधन कराये जाने के संबंध में, आवेदक द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र अनुसार कोई बेचान नहीं किया गया हो तथा संशोधित मानचित्र के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, के आशय का शपथ पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
 3. आवेदक से नियमानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए खसरा सुपरईम्पोजिशन किया जावे।
- उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 85 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- विवेक विहार व्यवसायिक योजना में 03 ब्लॉक की योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यवसायिक उपयोग हेतु



ब्लॉक आरक्षित है। उक्त के क्रम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 03 ब्लॉक सी2/100, एच3/160, एच3/60 की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना अवाप्त शुदा भूमि आवंटन की लॉटरी में उल्लेखित नापों व भूखण्डों की संख्या के अनुसार व विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र के आधार पर प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रस्तुत ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 86 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 58/4/5 एकल भूखण्ड व खसरा संख्या 58/3/2 एकल भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 9680 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत। आवेदक :- श्री हरजीत सिंह भूटानी पुत्र श्री रवं श्री मक्खनसिंह भूटानी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशांसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 87 :- (06.03.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 58/4/4 एकल भूखण्ड व खसरा संख्या 58/3/3 एकल भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 9680 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत। आवेदक :- श्रीमती पम्मी भूटानी पत्नी श्री हरजीत सिंह भूटानी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण को अनुशांसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 88 :- (06.03.2020)

विषय :- अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा जारी 1500 वर्गगज से अधिक के ब्लॉक के पट्टा विलेख में उपविभाजन बाबत।

निर्णय :- अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा जारी पट्टा विलेख हेतु राज्य सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी पारीक)

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 9087-9094 दिनांक:- 21/04/2020

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (आयोजना) एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2020 वीं बैठक दिनांक 06.03.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमती पुष्पा हरवानी, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री ओ.पी पारीक, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर